

भविष्यनिधि से कर्ज/आहरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (२३) साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हेतु जानकारी

1. **विवाह** – कर्ज/आहरण यदि शादी हेतु चाहा गया है तो पुत्र/पुत्री का नाम उम्र शादी की निर्धारित तिथि विवाह पत्रिका एवं उक्त का प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजें। (दसवीं की अंकसूची अन्य कोई दस्तावेज)
2. **धार्मिक कार्य**— कर्ज यदि धार्मिक कार्य हेतु चाहा गया है तो कार्य का विवरण दिनांक, अनुमानित व्यय विवरण संलग्न कर भेजें। इस कार्य हेतु आहरण की पात्रता नहीं है।
3. **प्लॉट कय करने**— कर्ज/आहरण यदि प्लॉट कय करने हेतु मांगा गया है तो विक्रेता का नाम, प्लॉट विक्रेता से किये गये अनुबंध की एक प्रति प्लॉट कमांक, मोहल्ले का नाम प्लॉट की साइज, कीमत एवं प्लॉट विक्रेता के प्लॉट के स्वामित्व का प्रमाण दें। यदि प्लॉट सहकारी संस्था, हाउसिंग बोर्ड विकास प्राधिकरण या अन्य किसी रजिस्टर्ड संस्था से कय किय जाना है तो उस संस्था का डिमांड लेटर, प्लॉट एवं स्थिति बाबत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें। मुख्यालय की अनुमति आवश्यक है। अतः अनुमति पत्र संलग्न कर भेजें।
4. **मकान मरम्मत**— कर्ज/आहरण यदि मकान मरम्मत हेतु चाहा गया है तो मकान स्वामित्व का प्रमाण पत्र मरम्मत कार्य विवरण एवं इंजीनियर द्वारा तैयार व्यय का अनुमान पत्रक प्रस्तुत करें (मकान के स्केच सहित)
5. **कर्ज/आहरण** यदि मकान निर्माण कय हेतु चाहा है तो प्लॉट स्वामित्व का प्रमाण पत्र नगर निगम या अन्य किसी अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत नक्शे एवं अनुमानित पत्र की प्रति तथा निर्माण कार्य में होने वाले व्यय का अनुमान पत्रक जो किसी इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया हो, संलग्न करें।
6. **उच्च शिक्षा**— कर्ज/आहरण यदि स्वयं के बच्चों की उच्च शिक्षा जिसमें मेडिकल/इंजीनियरिंग/कला/वाणिज्य/विज्ञान या किसी अन्य कोर्स हेतु आवश्यकता होने पर बच्चे की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अंकसूची की छायाप्रति (बारहवीं पास) तथा जिस शिक्षा संस्था में प्रवेश चाहिये उस संस्था की फीस विवरण संलग्न कर भेजें तथा चाही गयी राशि का उल्लेख आवेदन पत्र में करें।
7. **चिकित्सा व्यय**— कर्ज/आहरण कर्मचारी पर आश्रित सदस्यों के इलाज हेतु दिया जाता है। कर्मचारी को आवेदन पर (मरीज) आश्रित सदस्य का नाम, संबंध बीमार का पूरा विवरण अनुमानित व्यय तथा चिकित्सालय द्वारा दिया गया बीमारी का विवरण एवं अनुमानित व्यय का पत्रक संलग्न कर भेजा जावे।
8. **बिन्दु कमांक 01 से 07 तक उल्लेखित कार्यों के लिए** यदि कर्ज मांगा जाता है तो नियमानुसार 03 माह का वेतन या जमा का 1/2 जो भी कम हो पात्रता होगी किन्तु उतनी राशि उसके भविष्यनिधि खातों में जमा होनी चाहिए।
9. **बिन्दु कमांक 03, 04, एवं 05 में उल्लेखित कार्यों हेतु आहरण (Part Final) की पात्रता के लिए** 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना अनिवार्य है। शेष बिन्दुओं में उल्लेखित कार्यों हेतु आहरण की पात्रता हेतु 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना अनिवार्य होगा।


प्रबन्धक (कार्य निष्पाद)

क्रमांक/प्रगवेका/स्था/15-18/05/९४२४ रायपुर, दिनांक:— 3-3-05

“परिपत्र”

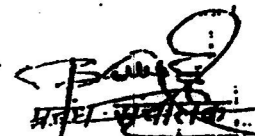
प्रति,

- (1) रायपुर अधिकारी/कर्मचारी, प्रा. नि. रा. ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
- (2) रायपुर अभियंता/उपयंत्री, प्रा. नि. रा. ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,

विषय:— भू-खण्ड, प्लेट, मकान आदि सम्पत्ति कय करने हेतु अर्हताओं की पूर्ति,
विषयक ।

निगम में पदस्था अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वयं के लिये कोई भी भू-खण्ड, प्लेट, मकान आदि कय किये जाने की स्थिति में आवेदन किया जाता है, उक्त आवेदन में निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाय —

- (1) जिस स्थान पर निर्माण करना चाहता/चाहती है, वहाँ पर उसके अथवा पति/पति या अवस्थित बच्चों के नाम स्वयं का मकान है अथवा नहीं ।
 - (2) भू-खण्ड/प्लेट/मकान कय हेतु अग्रिम की दशा में पूर्ण विवरण जैसे— आकार, स्थान, मूल्य, बेचने वाले का नाम तथा वे दस्तावेज जिनसे यह ज्ञात हो सके कि केता को कय के पश्चात् स्पष्ट हक प्राप्त होगा । यदि स्वयं का भू-खण्ड है तो साक्ष्य हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और यदि भू-खण्ड/प्लेट/मकान कय किया जाना है तो केता से आपका क्या संबंध (रिलेशन) है ।
 - (3) कय की जाने वाली सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य राशि का वित्तीय स्रोत क्या-क्या है, पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिए — बैंक/वित्तीय संस्थाओं के अलावा किसी अन्य स्रोत (मित्र-रिश्तेदार आदि भी) से ऋण लिये जाने की स्थिति में पूर्ण रूपेण प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।
 - (4) हाउसिंग बोर्ड, प्राइवेट विल्डर्स या व्यक्ति विशेष से सम्पत्ति कय करने हेतु पंजीयक कार्यालय से या हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर से या उसके समतुल्य अधिकृत अधिकारी से सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य से संबंधित पूर्ण जानकारी निहित होकर, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 - (5) यदि भू-खण्ड कय हेतु पूर्व में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तो भवन निर्माण हेतु इस कार्यालय से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । निर्माण के पूर्व निगम को यह जानकारी उपलब्ध करायी जाय कि भवन निर्माण हेतु राशि कहां से जुटाई गई ।
- उपरोक्त वर्णित जानकारी के अभाव में आवेदन अपूर्ण माना जाकर, स्वीकृति देय नहीं होगी ।


प्रमाण-पत्र
03/03/05

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
२२, आनन्द नगर, मुख्यालय-रायपुर

भविष्य निधि से कर्ज/आहरण स्वीकृत करने के लिये आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंधक (लेखा)
भविष्य निधि शाखा,
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
एम्पलाईज प्रोव्हीडेंट फण्ड कमेटी, रायपुर।

मैं (पूरा नाम) निवेदन करता / करती हूँ कि
मुझे के लिये राशि रुपये की आवश्यकता है।
अतः मुझे स्वयं की भविष्य निधि जमा राशि से कर्ज / आहरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

- (१) आवेदक का पूरा नाम
- (२) पद नाम
- (३) पता
- (४) निगम की नियमित सेवा में कब से है, दिनांक
- (५) सेवाकाल की अवधि (वर्षों में)
- (६) भविष्य निधि में स्वयं की जमा राशि ब्याज सहित
- (७) जिस कार्य के लिये कर्ज / आहरण चाहिये, उसका
विस्तृत विवरण.
- अ. बच्चों का उच्च शिक्षा जिसमें मेडिकल
इंजीनियरिंग व अन्य टेक्नीकल शिक्षा शामिल हो.
- (१) कोर्स का नाम
- (२) संस्था का नाम
- (३) कोर्स की अवधि

ब. अंशदाता के पुत्र एवं पुत्रियों या अन्य संबंधी के
सगाई/विवाह का व्यय वहन करने के लिये.

- (१) नाम
- (२) संबंध
- (३) सगाई/विवाह का दिनांक

स. बीमारी हेतु

- (१) बीमारी का नाम
- (२) उम्र
- (३) कर्मचारी से संबंध

.....

(४) बीमारी का नाम एवं अवधि

द. भवन निर्माण/परिवर्तन हेतु

- (१) मकान क्रमांक
- (२) मोहल्ले/शहर/ग्राम का ना
- (३) प्लॉट/मकान किसके नाम पर है
- (४) अनुमानित व्यय
- (५) मुख्यालय का स्वीकृत पत्र क्रमांक एवं दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)

ई. यदि कर्ज आहरण प्लॉट/मकान खरीदने के लिये चाहिए तो.

- (१) प्लॉट/मकान का क्रमांक
- (२) मोहल्ला/ग्राम/शहर
- (३) विक्रेता का नाम
- (४) मुख्यालय का स्वीकृत पत्र क्रमांक/दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
- (५) राशि रुपये

(८) भविष्य निधि से पूर्व में लिये गये ऋण/आहरण १. दिनांक
२. राशि रुपये

(९) ऋण कब लिया था तथा कितना शेष है

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्यालय के उपयोग हेतु

१. कर्मचारी की कुल जमा राशि रुपये माह तक।
२. पूर्व जमा राशि राशि रुपये
- ब्याज की राशि रुपये में
- कुल राशि रुपयों में